

# फर्द अहकाम

बनाम

गंगासहाय

खेमचन्द

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

94/2024

विशेष विवरण

21.01.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 13 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 49 रकबा 0.7334 है०, 64 रकबा 0.3541 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.0875 है० स्थित ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का करणगढ भू०अ०नि० तूंगा तह० तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 104/2024 खेमचन्द बनाम गंगासहाय के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर  
बस्सी, जिला जयपुर